

दिनांक


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

शान्ता बनाम राजी आई वगैरह

२०/१२/२४

प्रभावली पेशा हुई। वादीगण एवं वादी आक्षेपकता
अनुपस्थित। वादीगण एवं वादी आक्षेपकता को
निष्प्रमाणुसार तीन बार आवधि गई परन्तु कोई उपस्थित
नहीं आया। वादीगण एवं वादी आक्षेपकता को पुनः
न्यायाधीश के एक बार पुनः भावाव लगेवाई गई।
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5:50 PM
हो चुका है। वादीगण एवं वादी आक्षेपकता के
न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण
वादीगण द्वारा उत्पन्न वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,
92 A व 188 बाल-बाल काब्रतकारी आदीनियम को
अदम हाजरी अदम पौबी में जारी किया जाता
है। निष्पत्ति करें एवलाए सुनाया गया। रिश्ते
पर्यत जारी हो।

प्रभावली फैसल सुमार होकर जारील बाहर
हो तथा नम्बर से कम हो।


20/12/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. शान्ता पुत्री नाथुलाल जी शर्मा पत्नी महावीर प्रसाद शर्मा आयु वयस्क निवासी गंगपुर तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. कमला पुत्री नाथुलाल जी शर्मा पत्नी स्व0 रामपाल शर्मा आयु वयस्क निवासी पहुंचना तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ
3. प्रेम पुत्री नाथुलाल जी शर्मा पत्नी भंवर लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी पहुंचना तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ
4. कौशल्या पुत्री नाथुलाल जी शर्मा पत्नी मांगीलाल शर्मा आयु वयस्क निवासी सातलियास तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजी बाई पत्नी नाथुलाल जी शर्मा आयु 85 वर्ष निवासी केयर ऑफ दामोदर जी उपाध्याय, गंगपुर तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. मधु पुत्री नाथुलाल जी शर्मा पत्नी विद्यासागर पंचोली आयु वयस्क निवासी गंगपुर तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. घीसी बेवा जमनालाल जी शर्मा आयु वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. दिलीप पुत्र जमनालाल जी शर्मा आयु वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. मोनू पुत्र जमनालाल जी शर्मा आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिक माता घीसी बेवा जमनालाल जी शर्मा आयु वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. सोनू पुत्र जमनालाल जी शर्मा आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिक माता घीसी बेवा जमनालाल जी शर्मा आयु वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. नन्दलाल पुत्र जानकीलाल शर्मा आयु वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. राजेन्द्र पुत्र प्यारचंद शर्मा आयु वयस्क निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारोई कलां जरिये शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


20/12/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादपत्र बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 21/2023 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मनीष काटिया अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 20.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


20/12/24
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा